an>

title: Need to provide free uniform, note books and text books to students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Groups studying in government aided schools.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास विभाग के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1-ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिए जाने एवं उनको पढ़ाने के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। अधिनियम में इस प्रकार प्रवेश पाए विद्यार्थियों के लिए प्रवेश फीस की पूति पूर्ति की तो व्यवस्था है परन्तु वर्दी, पाठ्य-पुस्तकें अभिभावकों को ही खरीदनी पड़ रही हैं। इनके बारे में कोई स्पÂष्ट प्रावधान नहीं है। इन पर होने वाले खर्च के कारण गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के लिए विवश होना पड़ रहा है और इस तरह से उक्त अधिनियम का उद्देश्य भी विफल हो रहा है और गरीब तबके के बच्चों की साक्षरता बढ़ने के कार्यों में बाधा पैदा हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे विद्यार्थियों के लिए वर्दी, कापियां एवं विÂषयों की पुस्तकें दिए जाने की उचित व आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा के अधिकार की सफलता और गरीब वर्गों के बच्चों को शिक्षा संबंधी आवश्यक सुविधाएं दिलाने के लिए अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में निशुल्क वर्दी, कापियां एवं पाठ्य पुस्तकें दिए जाने का प्रावधान किया जाए।